न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या :454/2021
सरकार बनाम विनय आदि।

<u>बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०</u>

नाम– विनय	पिता का नाम– राम अवतार सिंह	उम्र– 37 वर्ष
पेशा– प्राइवेट नौकरी	निवासी– नगला दलपतपुर	
थाना– पहासू	जिला– बुलन्दशहर।	

प्रश्न सं० 1– यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मनोज की बहन रमा उर्फ राधा की शादी दिनांक 23.02.2016 को अभियुक्त विनय के साथ होने के उपरान्त समय–समय पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर रमा उर्फ राधा से बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुये लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित व उत्पीडित किया गया व पुत्री पैदा करने के ताने दिये गये। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या आरोप है। मैने कोई मांग नहीं की तथा न ही रमा उर्फ राधा का उत्पीड़न किया।

प्रश्न सं० 2– यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 18.10.2020 को समय अदम तहरीर, स्थान ग्राम नगला दलपतपुर अन्तर्गत क्षेत्र थाना पहासू में आप लोगों ने मिलकर वादी मनोज की बहन रमा उर्फ राधा की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ने होने पर शादी के सात वर्ष के अन्दर फांसी के फंदे पर लटकाकर असामान्य परिस्थितियों में उसकी दहेज मृत्यु कारित की। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या आरोप है।

प्रश्न सं० 3– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 1 महिला कां० आकृति के बयान सुने जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.10.2020 को मेरी ड्यूटी थाना पहासू पर कार्यलेख पर 08:00 बजे से 08:00 बजे तक थी। उस दिन मनोज पुत्र स्व० दिनेश चन्द्र निवासी बसगोई थाना सासनी जनपद हाथरस की एक लिखित टाइप शुदा प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर खुद का बताते हुए बाबत अभियुक्त विनय पुत्र रामौतार, रामौतार पुत्र नामालूम, श्रीमती मुन्नी पत्नी रामौतार, कुलदीप पुत्र रामौतार निवासीगण ग्राम नंगला दलपतपुर थाना पहासू जिला बुलन्दशहर लाकर दाखिल की, जिसके आधार पर मु०अ०सं० 339/2020 धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा उसी दिन जी.डी. नं० 41 दिनांक 19.10.2020 समय 20:26 बजे किया गया। चिक एफ०आई०आर० पेपर सं० 4A पत्रावली पर उपलब्ध है। इस पर **<u>प्रदर्श क–1</u>** डाला गया। जी.डी. पेपर सं० 6A/3 पत्रावली पर उपलब्ध है। इस पर **<u>प्रदर्श क–2</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या तहरीर के आधार पर गलत अपराध धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है, गलत साबित किया है।

प्रश्न सं० 4– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 2 वादी मनोज के बयान सुने, जिसने मुख्यपरीक्षा में बताया है कि राधा की शादी आज से करीब आठ साल पहले हुयी थी। रमा उर्फ राधा की शादी में करीब ढाई–तीन लाख रूप्ये खर्च हुये थे। रमा उर्फ राधा की ससुराल में पति विनय, ससुर रामौतार, सास मुन्नी उसके साथ रहते थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे खिलाफ बयान नहीं दिया गया है।

प्रश्न सं० 5– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 3 श्रीमती मुन्नी देवी के बयान सुने। जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में बताया है कि हमने अपनी पुत्री की शादी में करीब दो लाख रूपये खर्च किये थे। शादी में सामान भी दिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 6– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 4 मुकेश कुमार के बयान सुने, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मृतका रमा उर्फ राधा मेरी ममेरी बहन थी। मेरी बहन रमा उर्फ राधा की शादी मेरे ही गांव नगला दलपतपुर के विनय पुत्र रामौतार सिंह के साथ कई साल पहले हुई थी। दिनांक 18.10.2020 को दोपहर बाद मुझे जानकारी मिली कि मेरी ममेरी बहन रमा उर्फ राधा ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर मैं भी रमा उर्फ राधा के घर पहुँच गया था। मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पर काफी लोग मौजूद थे और पुलिस भी आ गई थी। पंचायतनामा भरने के बाद अन्य गांव वालों के साथ मेरे भी हस्ताक्षर कराये थे। शव को लेकर पुलिस व मेरे गाँव के व रमा के ससुराल वाले पोस्टमार्टम कराने बुलन्दशहर गये थे। पोस्टमार्टम अगले दिन हुआ था और शव को पुलिस द्वारा हमें व गांव वालों को सुपुर्द कर दिया था। पंचायतनामे की कार्यवाही पुलिस द्वारा हमारी मौजूदगी में समय 18:13 बजे प्रारम्भ की थी तथा 19:45 बजे समाप्त किया गया था। गवाह ने पंचायतनामे पर अपने हस्ताक्षर किये थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है।

प्रश्न सं० 7– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 5 सुधीर कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.10.2020 को हमारे गाँव नगला दलपतपुर में पुलिस आई थी, तब मुझे गाँव में ही जानकारी मिली थी कि विनय की पत्नी राधा उर्फ रमा की मृत्यु हो गई है। जानकारी होने पर मैं भी विनय के घर पहुँचा तो देखा कि राधा उर्फ रमा का शव बरामदे में रखा था। वहाँ पर आसपास के काफी लोग मौके पर इकट्ठा थे। मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता तथा उनके द्वारा मृतका राधा उर्फ रमा का पंचायतनामा हमारी मौजूदगी में बोल–बोलकर थाना पहासू के उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह से भरवाया था। मुझे भी पंचान नियुक्त किया गया। मैने भी पंचायतनामे पर हस्ताक्षर किये थे। पंचायतनामे की कार्यवाही समय 18:13 बजे प्रारम्भ की गई व 19:45 पर समाप्त करने के उपरान्त शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद ग्राम दलपतपुर में उसका दाह संस्कार मेरी उपस्थिति में किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर पेपर सं० 8A/2 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान कर बताया कि मैने पंचायतनामे पर दरोगा जी को पढ़कर सुनाये जाने के बाद हस्ताक्षर किये थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से मृतका का पंचायतनामा भरा गया हैं। हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 8– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 6 नायाब तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता के बयान सुने जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 18.10.2020 को तहसील शिकारपुर में नायाब तहसीलदार के पद पर तैनात था। मुझे तत्कालीन एस.डी.एम. शिकारपुर द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम नंगला दलपतपुर में एक महिला की फाँसी लगने के कारण मृत्यु हो गई है। तत्काल मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही करें। सूचना मुझे लगभग शाम 06:15 बजे के आसपास मिली थी और सूचना मिलने के पश्चात् मैं ग्राम दलपतपुर घटनास्थल पर पहुँचा। जब मैं घटनास्थल पर पहुँचा था तो मुझसे पूर्व भी वहाँ काफी लोग मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी और महिला के परिवारजन भी मौजूद थे। मृतका का शव बरामदे में रखा था। मेरे निर्देशन में पंचायतनामे की कार्यवाही आरम्भ की गई। मौके पर मौजूद लोगों में से पाँच पंच नियुक्त किये गये और रूकमणी महिला कांस्टेबल से शव का निरीक्षण कराया गया और निरीक्षण कराकर मृतक महिला के शव की दशा कपड़े हुलिया आदि का विवरण पंचायतनामे में अंकित कराया गया। महिला की गर्दन पर पीछे व आगे एक चोंट का नीलगू निशान था। मेरे द्वारा मौके पर मौजूद पंचान से उनकी राय पूंछी गई, तो पंचों ने अपनी राय पोस्टमार्टम कराने के संबंध में दी थी। पंचान की राय पंचायतनामे में अंकित करायी गई थी। पंचान की राय से सहमत होकर मेरी अपनी राय भी पंचायतनामे में अंकित कराई गई थी। तत्पश्चात् शव को सील सर्वे नमूना मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए कां० रोहित व म०कां० रूकमणी के सुपुर्द कर दिया था और पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी रिपोर्ट से अवगत कराने को कहा। यह पंचायतनामा व अन्य संबंधित कागजात मेरे द्वारा एस.आई. ओमपाल सिंह से बोल–बोलकर लिखवाया गया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8A/1 लगायत 2 जो कि हस्तलिखित पंचायतनामे के रूप में है, को देखकर कहा कि यही पंचायतनामा मेरे द्वारा मौके पर लिखाया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया है, बल्कि गलत कागजात तैयार किये गये।

प्रश्न सं० 9– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 6 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 8A/4 जो कि नक्शा नाश के रूप में है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 8A/5 जो कि फोटोनाश के रूप में है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 8A/6 जो कि चिट्ठी सी.एम.ओ. के रूप में मौजूद है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 8A/7 जो कि नमूना मोहर के रूप में है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है और इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिए थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से साबित कराये गये हैं।

प्रश्न सं० 10– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉक्टर प्रदीप कुमार के बयान सुने, जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.10.2020 को मैं जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात था और उपरोक्त दिनांक को मैं पोस्टमार्टम ड्यूटी पर था। उस दिन सुबह 10:20 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आये। मृतका का नाम रमा देवी उम्र 26 साल पत्नी विनय राघव निवासी ग्राम नगला दलपतपुर थाना पहासू जिला बुलन्दशहर को सी.पी. 447 रोहित और सी.सी. 1103 रूक्मणी थाना पहासू से लेकर पोस्टमार्टम के लिए आये थे। शव की शिनाख्त उपरोक्त दोनों कांन्सटेबल ने की थी। दिनांक 19.10.2020 को समय 12:05 बजे दोपहर में शव का पोस्टमार्टम शुरू किया था और समय 12.35 बजे पोस्टमार्टम खत्म किया था। शव की ऊंचाई 5 फिट 2 इंच व कद काठी औसत थी, शरीर मध्यम था। शव के शरीर पर निम्नलिखित कपड़े पहन रखे थे। कपड़ों में एक मैक्सी, एक ब्लाउज, एक पेटीकोट, एक पैन्टी, एक दुपट्टा व नाम की रिंग एक पीली धातु हाथ में टूड़ी काँच, एक काला धागा, एक कलावा था। शव के पूरे शरीर में अकड़न मौजूद थी। शव की आंखे व मुँह बन्द थे। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी थी।

प्रश्न सं० 11 यह कि साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉक्टर प्रदीप कुमार के यह भी कथन किया गया है कि शव का वाह्य परीक्षण करने पर एक फन्दे का निशान, जिसकी लम्बाई 32 सेमी० व चौड़ाई 1 सेमी० थी। वो गले के चारों तरफ बना हुआ था। फन्दे में सीधी साइड में 8 सेमी० का गैप था। फन्दा गले में तिरछा था और बांये कान से 6 सेमी० नीचे और दांये कान से 1 सेमी० नीचे था। शव के गले को खोलने पर एक सफेद रंग की चमकदार पट्टी थी और Hyoid Bone टूटी हुई नहीं थी। Antimortem Injury (AMI) को मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के Diagram में दर्शाया गया है। शव का आन्तरिक परीक्षण करने पर दिल और फेफड़े लाल रंग के थे, लीवर स्पलीन और किडनी लाल रंग की थी। पेट में लगभग 100 ग्राम अधपचा भोजन पाया गया, बच्चेदानी खाली थी। रीढ़ की हड्डी को नहीं खोला गया, जननांग ठीक थे। शव की मृत्यु का सम्भावित समय पोस्टमार्टम से 3/4 दिन या लगभग 18 घण्टे पूर्व का रहा होगा। मृत्यु का तात्कालिक कारण गले में आयी हुई चोंट या फन्दा लगाने के कारण हुआ। मृत्यु दम घुटने के कारण हुई जो स्वयं फांसी लगाने के कारण हो सकती है। गले में फन्दा मृत्यु पूर्व का रहा होगा और स्वयं कारित किया हो सकता है और मृत्यु के लिए यह AMI पर्याप्त है। पुलिस कांस्टेबल आठ अन्वेषण प्रपत्र लेकर के आये थे। शव, वस्त्र और अन्वेषण प्रपत्र सील करके शव के साथ आये कां० रूकमणी को सौंप दिये गये। सील बन्दों की संख्या तीन थी। यह पी.एम. रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/1 लगायत 9A/3 जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 859/20 जो मृतका रमा देवी के रूप में है, को देखकर कहा कि यह मेरे हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या बयान दिया है।

प्रश्न सं० 11– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 8 सहायक सेनानायक गोपाल सिंह के बयान सुने, जिसने सशपथ बताया है कि मैं दिनांक 20.10.2020 को सी.ओ. शिकारपुर के रूप में तैनात था। यह मुकदमा थाना पहासू पर पंजीकृत हुआ था। मैने यह विवेचना उसी दिनांक 20.10.2020 को ग्रहण की थी। इस मुकदमे से संबंधित कागजात मुझे कार्यालय के डाक पैड से प्राप्त हुए थे। सभी संबंधित कागजात का अवलोकन कर नकल चिक, नकल रपट का विवरण सी.डी. में अंकित किया था। उसी दिन मेरे थाना पहासू पर मौजूद एफ०आई०आर० लेखिका महिला कां० आकृति के बयान सी.डी. में अंकित किये थे और थाने पर ही मृतका के भाई मनोज को साथ ले जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा नजरी मौके पर ही तैयार मैरे द्वारा किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 7A जो कि मु०अ०सं० 339/2020 धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम विनय पुत्र रामअवतार आदि के रूप में है, को देखकर कहा कि यह हस्तलिखित नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से विवेचना की तथा मिथ्या बयान दिया है।

प्रश्न सं० 12– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मृतका राधा उर्फ रमा की पी.एम. व पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी। दिनांक 22.10.2020 को निरीक्षक ओमपाल सिंह की टीम द्वारा अभियुक्त विनय व रामअवतार को गिरफ्तार कर थाना पहासू दाखिल किया गया, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई और मैने थाना पहासू पहुँचकर अभियुक्त विनय व रामअवतार के बयान मैने सी.डी. में अंकित किये और उसी दिन दोनो अभियुक्तों का रिमान्ड माननीय न्यायालय में स्वीकृत कराने हेतु एस.ओ. पहासू को निर्देशित किया गया। दिनांक 04.11.2020 को मृतका रमा देवी का मूल पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाक कार्यालय से प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर विवरण मेरे द्वारा सी.डी. में अंकित किया गया। तत्पश्चात् मेरे द्वारा इस मुकदमे के शेष अभियुक्त मृतका की सास मुन्नी देवी, देवर कुलदीप को उनके मिलने के सम्भावित स्थानों पर तलाश किया गया, लेकिन दस्तयाब नहीं हुए। दिनांक 09.11.2020 को तहसील शिकारपुर पहुँचकर मृतका रमा देवी के पंचायतनामा भरवाने मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार शिकारपुर सुशील कुमार गुप्ता के बयान सी.डी. में अंकित किये। तत्पश्चात् मैं तहसील शिकारपुर से चलकर थाना पहासू पहुँचा और वहाँ पर मेरे द्वारा एस.आई. ओमपाल सिंह व पोस्टमार्टम करवाने वाले कां० मोहित कुमार व महिला कां० रूकमणी के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 03.12.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुलावठी पहुँचा और वहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर प्रदीप कुमार के बयान सी.डी. में अंकित किये। तत्पश्चात् शेष नामित अभियुक्तों की तलाश की गई, लेकिन दस्तयाब नहीं हुए। एस.ओ. पहासू को उनकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 12.12.2020 को मैं ग्राम नगला दलपतपुर पहुँचा और शेष नामित अभियुक्तों को तलाश किया, लेकिन दस्तयाब नहीं हुए। तत्पश्चात् मुकदमा उपरोक्त के गवाह पंचान को तलब कर बयान गवाह पंचान सुधीर कुमार, मुकेश कुमार, देवराज सिंह व अनिल के बयान सी.डी. में अंकित किये गये। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– सही विवेचना नहीं की तथा मिथ्या बयान दिये हैं।

प्रश्न सं० 13– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 02.01.2021 को कार्यालय डाक पैड से मृतका के भाई मनोज द्वारा एस.एस.पी. साहब के माध्यम से भेजे गये शपथपत्र व प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिनका अवलोकन कर उन शपथपत्रों व प्रार्थना पत्रों का विवरण सी.डी. में अंकित किया गया। दिनांक 04.01.2021 को मैं ग्राम नगला दलपतपुर पहुंचकर और शपथपत्र देने वाले दलवीर सिंह, रजनेश सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, रक्षपाल सिंह, देवराज सिंह, महेश सिंह, श्रीपाल, अरविन्द, मुकेश कुमार, रामश्री, गुड्डी, विनीता देवी, सन्तोष के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 05.01.2021 को वादी मुकदमा मनोज व उसकी माँ मुन्नी देवी कार्यालय पर उपस्थित आये और मेरे द्वारा मजीद बयान वादी मनोज व बयान मृतका की माता मुन्नी देवी के सी.डी. में अंकित किये गये, जिसमें उन्होंने मृतका की सास मुन्नी देवी व कुलदीप को घटना में शामिल होना नहीं बताया। तत्पश्चात् मैं ग्राम नगला दलपतपुर पहुँचा और मुकदमे में नामित अभियुक्ता मुन्नी देवी व कुलदीप के बयान मैने सी.डी. में अंकित किये। अब तक की विवेचना में अभियुक्ता मुन्नी देवी व कुलदीप की नामजदगी गलत पायी गयी। इस कारण से इन दोनों के नाम विवेचना से पृथक किये गये। दिनांक 06.01.2021 को अब तक की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के आधार पर अभियुक्त विनय व रामअवतार के विरूद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र सं० 01/2021 दिनांक 06.01.2021 को प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 3A/1 लगायत 3A/7 जो कि मु०अ०सं० 339/2020 के कम्प्यूट्रीकृत आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया। इस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मेरे विरूद्ध गलत तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

प्रश्न सं० 14– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 9 श्रीपाल सिंह के बयान सुने। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मेरे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 15– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 10 एल.सी.1103 रूकमणी के बयान सुने, जिसने सशपथ बताया है कि दिनांक 18.10.2020 को मुझे दरोगा जी ने बताया था कि ग्राम नगला दलपतपुर में एक महिला खत्म हो गयी है। मैं, एस.आई. ओमपाल सिंह व एच. सी. रविन्द्र कुमार के साथ व कां० रोहित के साथ ग्राम नगला दलपतपुर पहुँची थी। मैने एस.आई. ओमपाल सिंह के कहने पर मृतका रमा के शव को उलट–पलट कर देखा था। मृतका रमा के पंचायतनामा की कार्यवाही नायब तहसीलदार द्वारा की गई थी व मृतका के शव को सील सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम हेतु मुझे व कां० रोहित कुमार को पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाने के लिए सुपुर्द किया था। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव व कपड़ों को मुझे सुपुर्द किया था। मृतका के कपडे मैने थाना लाकर दे दिये थे। मृतका के शव को उसके परिजन शव गृह से ही ले गये थे। न्यायालय के समक्ष एक सील बन्द पुलिन्दा कपड़े का पेश हुआ। इस सील बन्द कपड़े के पुलिन्दे पर विवरण निम्न अंकित है। PM No. 1859/2020 Dated 19.10.2020 नाम रमा देवी पत्नी विनय यादव उम्र 26 वर्ष (महिला) पता

नगला दलपतपुर थाना पहासू जिला बुलन्दशहर कपड़े मैक्सी एक, ब्लाऊज एक, पेटीकोट एक, कच्छा एक, नाक की वाली पीली धातु एक, कान की वाली दो पीली धातु, बिछुआ चार सफेद, इस कपड़े पर हस्ताक्षर अपठित Pradeep Rana Hospital(BSR) बुलन्दशहर अंकित है। इस कपड़े के पुलिन्दे को न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो इस पुलिन्दे के अन्दर एक ब्लाउज काले व सुनहरी पट्टी का, एक पेटीकोट महरूम कलर का, पेन्टी नीले कलर की, एक मैक्सी छायेदार रंग की जिस पर स्टार हुए है, एक दुपट्टा लाल जिस पर फूलनुमा हरे कलर में बने है। एक कलावा लाल व एक काला धारा, एक ब्लू धागा, चार बिछुए सफेद धातु, दो कान की वाली, एक नाल की नोजपिन पीली धातु, हाथ का कड़ा एक टूटा हुआ सीप का निकले, जिन्हें देखकर गवाह ने बताया कि ये वही कपड़े व सामान है जो मृतका ने पंचायतनामा के समय पहन रखे थे, जिन्हे पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने मुझे सुपुर्द किया था। एक कलावा, काला धागा व नीला धागा, चार बिछुए दो कानों की वाली, एक नथ टूटा हुआ कड़े पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। मृतका के पहने हुए सभी कपड़ों पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। कपड़े के मुख्य पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श–3** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी सही कागजात नहीं बनाये तथा मिथ्या बयान दिये हैं।

प्रश्न सं० 16– वादी द्वारा आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया एवं साक्षियों द्वारा आपके विरूद्ध साक्ष्य क्यों दी गयी ?

उत्तर– मेरे गाँव की पार्टीबन्दी के आधार पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, परन्तु मेरे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी गयी।

प्रश्न सं० 17– क्या आप प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना चाहते हैं ?

उत्तर– जी हाँ

प्रश्न सं० 18– क्या आपको घटना के संबंध में कुछ और कहना है ?

उत्तर– मैं निर्दोष हूँ। हमने कोई अपराध नहीं किया है। मैं घटना के समय घर में मौजूद नहीं था, बल्कि सेक्टर 49 बरौला ग्रेटर नोएडा में था।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक: 23.03.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Steno Mohd Afsan

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या :454/2021
सरकार बनाम विनय आदि।

<u>बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०</u>

नाम– राम अवतार पिता का नाम– स्व० महावीर सिंह उम्र– 68 वर्ष
पेशा– मजदूरी निवासी– नगला दलपतपुर
थाना– पहासू जिला– बुलन्दशहर।

प्रश्न सं० 1– यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मनोज की बहन रमा उर्फ राधा की शादी दिनांक 23.02.2016 को अभियुक्त विनय के साथ होने के उपरान्त समय–समय पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर रमा उर्फ राधा से बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुये लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित व उत्पीडित किया गया व पुत्री पैदा करने के ताने दिये गये। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या आरोप है। मैने कोई मांग नहीं की तथा न ही रमा उर्फ राधा का उत्पीड़न किया।

प्रश्न सं० 2– यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 18.10.2020 को समय अदम तहरीर, स्थान ग्राम नगला दलपतपुर अन्तर्गत क्षेत्र थाना पहासू में आप लोगों ने मिलकर वादी मनोज की बहन रमा उर्फ राधा की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ने होने पर शादी के सात वर्ष के अन्दर फांसी के फंदे पर लटकाकर असामान्य परिस्थितियों में उसकी दहेज मृत्यु कारित की। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या आरोप है।

प्रश्न सं० 3– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 1 महिला कां० आकृति के बयान सुने जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.10.2020 को मेरी ड्यूटी थाना पहासू पर कार्यलेख पर 08:00 बजे से 08:00 बजे तक थी। उस दिन मनोज पुत्र स्व० दिनेश चन्द्र निवासी बसगोई थाना सासनी जनपद हाथरस की एक लिखित टाइप शुदा प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर खुद का बताते हुए बाबत अभियुक्त विनय पुत्र रामौतार, रामौतार पुत्र नामालूम, श्रीमती मुन्नी पत्नी रामौतार, कुलदीप पुत्र रामौतार निवासीगण ग्राम नंगला दलपतपुर थाना पहासू जिला बुलन्दशहर लाकर दाखिल की, जिसके आधार पर मु०अ०सं० 339/2020 धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा उसी दिन जी.डी. नं० 41 दिनांक 19.10.2020 समय 20:26 बजे किया गया। चिक एफ०आई०आर० पेपर सं० 4A पत्रावली पर उपलब्ध है। इस पर **<u>प्रदर्श क–1</u>** डाला गया। जी.डी. पेपर सं० 6A/3 पत्रावली पर उपलब्ध है। इस पर **<u>प्रदर्श क–2</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या तहरीर के आधार पर गलत अपराध धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है, गलत साबित किया है।

प्रश्न सं० 4– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 2 वादी मनोज के बयान सुने, जिसने मुख्यपरीक्षा में बताया है कि राधा की शादी आज से करीब आठ साल पहले हुयी थी। रमा उर्फ राधा की शादी में करीब ढाई–तीन लाख रूप्ये खर्च हुये थे। रमा उर्फ राधा की ससुराल में पति विनय, ससुर रामौतार, सास मुन्नी उसके साथ रहते थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे खिलाफ बयान नहीं दिया गया है।

प्रश्न सं० 5– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 3 श्रीमती मुन्नी देवी के बयान सुने। जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में बताया है कि हमने अपनी पुत्री की शादी में करीब दो लाख रूपये खर्च किये थे। शादी में सामान भी दिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 6– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 4 मुकेश कुमार के बयान सुने, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मृतका रमा उर्फ राधा मेरी ममेरी बहन थी। मेरी बहन रमा उर्फ राधा की शादी मेरे ही गांव नगला दलपतपुर के विनय पुत्र रामौतार सिंह के साथ कई साल पहले हुई थी। दिनांक 18.10.2020 को दोपहर बाद मुझे जानकारी मिली कि मेरी ममेरी बहन रमा उर्फ राधा ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर मैं भी रमा उर्फ राधा के घर पहुँच गया था। मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पर काफी लोग मौजूद थे और पुलिस भी आ गई थी। पंचायतनामा भरने के बाद अन्य गांव वालों के साथ मेरे भी हस्ताक्षर कराये थे। शव को लेकर पुलिस व मेरे गाँव के व रमा के ससुराल वाले पोस्टमार्टम कराने बुलन्दशहर गये थे। पोस्टमार्टम अगले दिन हुआ था और शव को पुलिस द्वारा हमें व गांव वालों को सुपुर्द कर दिया था। पंचायतनामे की कार्यवाही पुलिस द्वारा हमारी मौजूदगी में समय 18:13 बजे प्रारम्भ की थी तथा 19:45 बजे समाप्त किया गया था। गवाह ने पंचायतनामे पर अपने हस्ताक्षर किये थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है।

प्रश्न सं० 7– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 5 सुधीर कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.10.2020 को हमारे गाँव नगला दलपतपुर में पुलिस आई थी, तब मुझे गाँव में ही जानकारी मिली थी कि विनय की पत्नी राधा उर्फ रमा की मृत्यु हो गई है। जानकारी होने पर मैं भी विनय के घर पहुँचा तो देखा कि राधा उर्फ रमा का शव बरामदे में रखा था। वहाँ पर आसपास के काफी लोग मौके पर इकट्ठा थे। मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता तथा उनके द्वारा मृतका राधा उर्फ रमा का पंचायतनामा हमारी मौजूदगी में बोल–बोलकर थाना पहासू के उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह से भरवाया था। मुझे भी पंचान नियुक्त किया गया। मैने भी पंचायतनामे पर हस्ताक्षर किये थे। पंचायतनामे की कार्यवाही समय 18:13 बजे प्रारम्भ की गई व 19:45 पर समाप्त करने के उपरान्त शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद ग्राम दलपतपुर में उसका दाह संस्कार मेरी उपस्थिति में किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर पेपर सं० 8A/2 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान कर बताया कि मैने पंचायतनामे पर दरोगा जी को पढ़कर सुनाये जाने के बाद हस्ताक्षर किये थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से मृतका का पंचायतनामा भरा गया हैं। हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 8– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 6 नायाब तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता के बयान सुने जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 18.10.2020 को तहसील शिकारपुर में नायाब तहसीलदार के पद पर तैनात था। मुझे तत्कालीन एस.डी.एम. शिकारपुर द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम नंगला दलपतपुर में एक महिला की फाँसी लगने के कारण मृत्यु हो गई है। तत्काल मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही करें। सूचना मुझे लगभग शाम 06:15 बजे के आसपास मिली थी और सूचना मिलने के पश्चात् मैं ग्राम दलपतपुर घटनास्थल पर पहुँचा। जब मैं घटनास्थल पर पहुँचा था तो मुझसे पूर्व भी वहाँ काफी लोग मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी और महिला के परिवारजन भी मौजूद थे। मृतका का शव बरामदे में रखा था। मेरे निर्देशन में पंचायतनामे की कार्यवाही आरम्भ की गई। मौके पर मौजूद लोगों में से पाँच पंच नियुक्त किये गये और रूकमणी महिला कांस्टेबल से शव का निरीक्षण कराया गया और निरीक्षण कराकर मृतक महिला के शव की दशा कपड़े हुलिया आदि का विवरण पंचायतनामे में अंकित कराया गया। महिला की गर्दन पर पीछे व आगे एक चोंट का नीलगू निशान था। मेरे द्वारा मौके पर मौजूद पंचान से उनकी राय पूंछी गई, तो पंचों ने अपनी राय पोस्टमार्टम कराने के संबंध में दी थी। पंचान की राय पंचायतनामे में अंकित करायी गई थी। पंचान की राय से सहमत होकर मेरी अपनी राय भी पंचायतनामे में अंकित कराई गई थी। तत्पश्चात् शव को सील सर्वे नमूना मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए कां० रोहित व म०कां० रूकमणी के सुपुर्द कर दिया था और पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी रिपोर्ट से अवगत कराने को कहा। यह पंचायतनामा व अन्य संबंधित कागजात मेरे द्वारा एस.आई. ओमपाल सिंह से बोल–बोलकर लिखवाया गया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8A/1 लगायत 2 जो कि हस्तलिखित पंचायतनामे के रूप में है, को देखकर कहा कि यही पंचायतनामा मेरे द्वारा मौके पर लिखाया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया है, बल्कि गलत कागजात तैयार किये गये।

प्रश्न सं० 9– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 6 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 8A/4 जो कि नक्शा नाश के रूप में है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 8A/5 जो कि फोटोनाश के रूप में है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 8A/6 जो कि चिट्ठी सी.एम.ओ. के रूप में मौजूद है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 8A/7 जो कि नमूना मोहर के रूप में है, को देखकर कहा कि यह एस.आई. ओमपाल के हस्तलेख में है और इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिए थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से साबित कराये गये हैं।

प्रश्न सं० 10– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉक्टर प्रदीप कुमार के बयान सुने, जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.10.2020 को मैं जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात था और उपरोक्त दिनांक को मैं पोस्टमार्टम ड्यूटी पर था। उस दिन सुबह 10:20 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आये। मृतका का नाम रमा देवी उम्र 26 साल पत्नी विनय राघव निवासी ग्राम नगला दलपतपुर थाना पहासू जिला बुलन्दशहर को सी.पी. 447 रोहित और सी.सी. 1103 रूक्मणी थाना पहासू से लेकर पोस्टमार्टम के लिए आये थे। शव की शिनाख्त उपरोक्त दोनों कांन्सटेबल ने की थी। दिनांक 19.10.2020 को समय 12:05 बजे दोपहर में शव का पोस्टमार्टम शुरू किया था और समय 12.35 बजे पोस्टमार्टम खत्म किया था। शव की ऊंचाई 5 फिट 2 इंच व कद काठी औसत थी, शरीर मध्यम था। शव के शरीर पर निम्नलिखित कपड़े पहन रखे थे। कपड़ों में एक मैक्सी, एक ब्लाउज, एक पेटीकोट, एक पैन्टी, एक दुपट्टा व नाम की रिंग एक पीली धातु हाथ में टूड़ी काँच, एक काला धागा, एक कलावा था। शव के पूरे शरीर में अकड़न मौजूद थी। शव की आंखे व मुँह बन्द थे। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी थी।

प्रश्न सं० 11 यह कि साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉक्टर प्रदीप कुमार के यह भी कथन किया गया है कि शव का वाह्य परीक्षण करने पर एक फन्दे का निशान, जिसकी लम्बाई 32 सेमी० व चौड़ाई 1 सेमी० थी। वो गले के चारों तरफ बना हुआ था। फन्दे में सीधी साइड में 8 सेमी० का गैप था। फन्दा गले में तिरछा था और बांये कान से 6 सेमी० नीचे और दांये कान से 1 सेमी० नीचे था। शव के गले को खोलने पर एक सफेद रंग की चमकदार पट्टी थी और Hyoid Bone टूटी हुई नहीं थी। Antimortem Injury (AMI) को मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के Diagram में दर्शाया गया है। शव का आन्तरिक परीक्षण करने पर दिल और फेफड़े लाल रंग के थे, लीवर स्पलीन और किडनी लाल रंग की थी। पेट में लगभग 100 ग्राम अधपचा भोजन पाया गया, बच्चेदानी खाली थी। रीढ़ की हड्डी को नहीं खोला गया, जननांग ठीक थे। शव की मृत्यु का सम्भावित समय पोस्टमार्टम से 3/4 दिन या लगभग 18 घण्टे पूर्व का रहा होगा। मृत्यु का तात्कालिक कारण गले में आयी हुई चोंट या फन्दा लगाने के कारण हुआ। मृत्यु दम घुटने के कारण हुई जो स्वयं फांसी लगाने के कारण हो सकती है। गले में फन्दा मृत्यु पूर्व का रहा होगा और स्वयं कारित किया हो सकता है और मृत्यु के लिए यह AMI पर्याप्त है। पुलिस कांस्टेबल आठ अन्वेषण प्रपत्र लेकर के आये थे। शव, वस्त्र और अन्वेषण प्रपत्र सील करके शव के साथ आये कां० रूकमणी को सौंप दिये गये। सील बन्दों की संख्या तीन थी। यह पी.एम. रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9A/1 लगायत 9A/3 जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 859/20 जो मृतका रमा देवी के रूप में है, को देखकर कहा कि यह मेरे हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मिथ्या बयान दिया है।

प्रश्न सं० 11– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 8 सहायक सेनानायक गोपाल सिंह के बयान सुने, जिसने सशपथ बताया है कि मैं दिनांक 20.10.2020 को सी.ओ. शिकारपुर के रूप में तैनात था। यह मुकदमा थाना पहासू पर पंजीकृत हुआ था। मैने यह विवेचना उसी दिनांक 20.10.2020 को ग्रहण की थी। इस मुकदमे से संबंधित कागजात मुझे कार्यालय के डाक पैड से प्राप्त हुए थे। सभी संबंधित कागजात का अवलोकन कर नकल चिक, नकल रपट का विवरण सी.डी. में अंकित किया था। उसी दिन मेरे थाना पहासू पर मौजूद एफ०आई०आर० लेखिका महिला कां० आकृति के बयान सी.डी. में अंकित किये थे और थाने पर ही मृतका के भाई मनोज को साथ ले जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा नजरी मौके पर ही तैयार मैरे द्वारा किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 7A जो कि मु०अ०सं० 339/2020 धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम विनय पुत्र रामअवतार आदि के रूप में है, को देखकर कहा कि यह हस्तलिखित नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत तरीके से विवेचना की तथा मिथ्या बयान दिया है।

प्रश्न सं० 12– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मृतका राधा उर्फ रमा की पी.एम. व पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी। दिनांक 22.10.2020 को निरीक्षक ओमपाल सिंह की टीम द्वारा अभियुक्त विनय व रामअवतार को गिरफ्तार कर थाना पहासू दाखिल किया गया, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई और मैने थाना पहासू पहुँचकर अभियुक्त विनय व रामअवतार के बयान मैने सी.डी. में अंकित किये और उसी दिन दोनो अभियुक्तों का रिमान्ड माननीय न्यायालय में स्वीकृत कराने हेतु एस.ओ. पहासू को निर्देशित किया गया। दिनांक 04.11.2020 को मृतका रमा देवी का मूल पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाक कार्यालय से प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर विवरण मेरे द्वारा सी.डी. में अंकित किया गया। तत्पश्चात् मेरे द्वारा इस मुकदमे के शेष अभियुक्त मृतका की सास मुन्नी देवी, देवर कुलदीप को उनके मिलने के सम्भावित स्थानों पर तलाश किया गया, लेकिन दस्तयाब नहीं हुए। दिनांक 09.11.2020 को तहसील शिकारपुर पहुँचकर मृतका रमा देवी के पंचायतनामा भरवाने मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार शिकारपुर सुशील कुमार गुप्ता के बयान सी.डी. में अंकित किये। तत्पश्चात् मैं तहसील शिकारपुर से चलकर थाना पहासू पहुँचा और वहाँ पर मेरे द्वारा एस.आई. ओमपाल सिंह व पोस्टमार्टम करवाने वाले कां० मोहित कुमार व महिला कां० रूकमणी के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 03.12.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुलावठी पहुँचा और वहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर प्रदीप कुमार के बयान सी.डी. में अंकित किये। तत्पश्चात् शेष नामित अभियुक्तों की तलाश की गई, लेकिन दस्तयाब नहीं हुए। एस.ओ. पहासू को उनकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 12.12.2020 को मैं ग्राम नगला दलपतपुर पहुँचा और शेष नामित अभियुक्तों को तलाश किया, लेकिन दस्तयाब नहीं हुए। तत्पश्चात् मुकदमा उपरोक्त के गवाह पंचान को तलब कर बयान गवाह पंचान सुधीर कुमार, मुकेश कुमार, देवराज सिंह व अनिल के बयान सी.डी. में अंकित किये गये। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– सही विवेचना नहीं की तथा मिथ्या बयान दिये हैं।

प्रश्न सं० 13– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 8 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 02.01.2021 को कार्यालय डाक पैड से मृतका के भाई मनोज द्वारा एस.एस.पी. साहब के माध्यम से भेजे गये शपथपत्र व प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिनका अवलोकन कर उन शपथपत्रों व प्रार्थना पत्रों का विवरण सी.डी. में अंकित किया गया। दिनांक 04.01.2021 को मैं ग्राम नगला दलपतपुर पहुंचकर और शपथपत्र देने वाले दलवीर सिंह, रजनेश सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, रक्षपाल सिंह, देवराज सिंह, महेश सिंह, श्रीपाल, अरविन्द, मुकेश कुमार, रामश्री, गुड्डी, विनीता देवी, सन्तोष के बयान सी.डी. में अंकित किये। दिनांक 05.01.2021 को वादी मुकदमा मनोज व उसकी माँ मुन्नी देवी कार्यालय पर उपस्थित आये और मेरे द्वारा मजीद बयान वादी मनोज व बयान मृतका की माता मुन्नी देवी के सी.डी. में अंकित किये गये, जिसमें उन्होंने मृतका की सास मुन्नी देवी व कुलदीप को घटना में शामिल होना नहीं बताया। तत्पश्चात् मैं ग्राम नगला दलपतपुर पहुँचा और मुकदमे में नामित अभियुक्ता मुन्नी देवी व कुलदीप के बयान मैने सी.डी. में अंकित किये। अब तक की विवेचना में अभियुक्ता मुन्नी देवी व कुलदीप की नामजदगी गलत पायी गयी। इस कारण से इन दोनों के नाम विवेचना से पृथक किये गये। दिनांक 06.01.2021 को अब तक की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के आधार पर अभियुक्त विनय व रामअवतार के विरूद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र सं० 01/2021 दिनांक 06.01.2021 को प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद का०सं० 3A/1 लगायत 3A/7 जो कि मु०अ०सं० 339/2020 के कम्प्यूट्रीकृत आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया। इस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मेरे विरूद्ध गलत तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

प्रश्न सं० 14– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 9 श्रीपाल सिंह के बयान सुने। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– मेरे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

प्रश्न सं० 15– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 10 एल.सी.1103 रूकमणी के बयान सुने, जिसने सशपथ बताया है कि दिनांक 18.10.2020 को मुझे दरोगा जी ने बताया था कि ग्राम नगला दलपतपुर में एक महिला खत्म हो गयी है। मैं, एस.आई. ओमपाल सिंह व एच. सी. रविन्द्र कुमार के साथ व कां० रोहित के साथ ग्राम नगला दलपतपुर पहुँची थी। मैने एस.आई. ओमपाल सिंह के कहने पर मृतका रमा के शव को उलट–पलट कर देखा था। मृतका रमा के पंचायतनामा की कार्यवाही नायब तहसीलदार द्वारा की गई थी व मृतका के शव को सील सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम हेतु मुझे व कां० रोहित कुमार को पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाने के लिए सुपुर्द किया था। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव व कपड़ों को मुझे सुपुर्द किया था। मृतका के कपडे मैने थाना लाकर दे दिये थे। मृतका के शव को उसके परिजन शव गृह से ही ले गये थे। न्यायालय के समक्ष एक सील बन्द पुलिन्दा कपड़े का पेश हुआ। इस सील बन्द कपड़े के पुलिन्दे पर विवरण निम्न अंकित है। PM No. 1859/2020 Dated 19.10.2020 नाम रमा देवी पत्नी विनय यादव उम्र 26 वर्ष (महिला) पता

नगला दलपतपुर थाना पहासू जिला बुलन्दशहर कपड़े मैक्सी एक, ब्लाऊज एक, पेटीकोट एक, कच्छा एक, नाक की वाली पीली धातु एक, कान की वाली दो पीली धातु, बिछुआ चार सफेद, इस कपड़े पर हस्ताक्षर अपठित Pradeep Rana Hospital(BSR) बुलन्दशहर अंकित है। इस कपड़े के पुलिन्दे को न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो इस पुलिन्दे के अन्दर एक ब्लाउज काले व सुनहरी पट्टी का, एक पेटीकोट महरूम कलर का, पेन्टी नीले कलर की, एक मैक्सी छायेदार रंग की जिस पर स्टार हुए है, एक दुपट्टा लाल जिस पर फूलनुमा हरे कलर में बने है। एक कलावा लाल व एक काला धारा, एक ब्लू धागा, चार बिछुए सफेद धातु, दो कान की वाली, एक नाल की नोजपिन पीली धातु, हाथ का कड़ा एक टूटा हुआ सीप का निकले, जिन्हें देखकर गवाह ने बताया कि ये वही कपड़े व सामान है जो मृतका ने पंचायतनामा के समय पहन रखे थे, जिन्हे पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने मुझे सुपुर्द किया था। एक कलावा, काला धागा व नीला धागा, चार बिछुए दो कानों की वाली, एक नथ टूटा हुआ कड़े पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। मृतका के पहने हुए सभी कपड़ों पर सामूहिक रूप से **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। कपड़े के मुख्य पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श–3** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी सही कागजात नहीं बनाये तथा मिथ्या बयान दिये हैं।

प्रश्न सं० 16– वादी द्वारा आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया एवं साक्षियों द्वारा आपके विरूद्ध साक्ष्य क्यों दी गयी ?

उत्तर– मेरे गाँव की पार्टीबन्दी के आधार पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, परन्तु मेरे विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी गयी।

प्रश्न सं० 17– क्या आप प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना चाहते हैं ?

उत्तर– जी हाँ।

प्रश्न सं० 18– क्या आपको घटना के संबंध में कुछ और कहना है ?

उत्तर– घटना की दिनांक को मैं अपने साले की लड़की शीतल की सगाई लेकर ग्राम सहार थाना छतारी गया था। मैं अपने घर पर नहीं था। मैं निर्दोष हूँ, हमने कोई अपराध नहीं किया है।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक: 23.03.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Steno Mohd Afsan

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.03.23 17:08:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court